संख्या–५७ VI–I/2006–77(सं0)2003

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

संस्कृति अनुभाग देहरादून दिनांक २५ मार्च,2006

विषयः शहीद स्मारक रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–1548/ सं0नि0नि0/ चार–34/ 2005–06, दिनांक 06 मार्च,2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहीद स्मारक रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु वित्त विभाग/टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 16.88 लाख (रूपये सोलह लाख अठ्ठासी हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 25.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 8.60 लाख व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हो, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय –समय पर जारी किये गये शासनादेशों मे निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

10- उक्त व्यय वालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला और संस्कृति-106-संग्रहालय-04-महान विभूतियों की मूर्तियों/शहीद स्मारक का निर्माण -00-24- वृहद निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या- 829/वित्त अनुभाग-3/2006, दिनांक 24 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

पृष्टांकन संख्या- संख्या- VI-1/2006-77(सं0)2003, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2- निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल
3- निदेशक,संस्कृति निदेशालय,देहरादून।
4- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल,
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
7- एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
8- बजट राजकोषीय अधिकारी,उत्तरांचल शासन,देहरादून।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव